



केन्द्रीय विद्यालय संगठन(गु)
18 सांस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110602
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi-110016.
Tel.: 26858570 Fax 26514179
Website: www.kvsangathan.nic.in

Speed Post

F. 110338-01/2014-15/ KVS (HQ) Acad/ 168

Dated: 27-02-2014.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Revision of Honorarium to Experts for Conducting Sessions during In-service Course/Workshop/Refresher Courses/Induction Programmes/Orientation Programmes and such other Programmes for Professional Growth of the Employees- regarding.

The Board of Governors of KVS in its 96th meeting held on 28-01-2014 has ratified the recommendation of the 40th Academic Advisory Committee meeting held on 18th November, 2013 on Revision of Honorarium to Experts for Conducting Sessions during In-service Course/Workshop/Refresher Courses/Induction Programmes/Orientation Programmes and such other Programmes for Professional Growth of the Employees.

The Revised rates of Honorarium are as under:

Sl.No.	Provisions under Article 40(e) of Education Code	Honorarium	
		Existing Rates	Rates approved
1.	Honorarium to be paid to serving employees of KVS for conduct of session of 90 minutes duration	Rs.500/-	Rs.1000/-
2.	Honorarium to be paid to Experts/Guest Speaker invited to conduct session for 90 minutes duration	Rs.1000/-	Rs.2000/-
3.	Conveyance charges to local experts	Rs.200/-	For NCR Delhi and Brihat Mumbai Rs.1000/- and for rest of the cities Rs.500/- or actual cost whichever is less.
4.	TA/DA for out station Experts/Guest Speakers	As per the entitlement under KVS rules	As per the entitlement under KVS rules
5.	Honorarium to be paid to Experts such as Eminent Scientist/Scholars of repute for attending various committee meetings of KVS.	Rs.2000/- if there are reasons to justify such payments. The reasons are to be recorded by the authority making the payment	Rs. 5000/- if there are reasons to justify such payments. The reasons are to be recorded by the authority making the payment.

Yours faithfully,


(Dr. Shachi Kant)

Joint Commissioner (Trg.)

Distribution:

1. PS to Commissioner for information please.
2. PS to Addl. Commissioner (Admn.) / Acad. For information please.
3. Joint Commissioner (Pers.), KVS (HQ), New Delhi.
4. Joint Commissioner (Finance) for the needful.
5. The Director, all KVS, ZIETs for information and necessary action.
6. The Dy.Commissioner, KVS, all Regional Offices, with the direction to circulate this O.M. to all Kendriya Vidyalayas under his/her administrative jurisdiction immediately.
7. Deputy Commissioner (Acad /EDP) for uploading the OM on KVS Website.
8. All other Officers KVS (HQ), New Delhi.
9. All Section Officers of KVS(HQ), New Delhi.
10. The Asstt. Editor, KVS(HQ) for making necessary amendment in Education/Accounts Code of KVS.
11. Guard file.



केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु०)
18 सांस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110602
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi-110016.
Tel.: 26858570 Fax 26514179
Website: www.kvsangathan.nic.in

स्पीड पोस्ट

फा. 110338-01/2014-15/केविसंमु(शै.) /2024

दिनांक: 27 फरवरी, 2014

कार्यालय जापन

विषय:- कर्मचारियों के व्यावसायिक कौशल में अभिवृद्धि हेतु सेवाकालीन पाठ्यक्रम/कार्यशाला/पुनर्धर्या पाठ्यक्रम/प्रवेशन कार्यक्रम/अभिविन्यास कार्यक्रम एवं तत्संबंधी अन्य कार्यक्रमों के आयोजन हेतु विषय-विशेषज्ञों के मानदेय में संशोधन ।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधिशासी मंडल की दिनांक 28.01.2014 को संपन्न 96वीं बैठक में शिक्षा सलाहकार समिति की 18.10.2013 को संपन्न 40वीं बैठक की सिफारिशों को अनुमोदित किया गया जिसमें कर्मचारियों के व्यावसायिक कौशल में अभिवृद्धि हेतु सेवाकालीन पाठ्यक्रम/कार्यशाला/पुनर्धर्या पाठ्यक्रम/प्रवेशन कार्यक्रम/अभिविन्यास कार्यक्रम एवं तत्संबंधी अन्य कार्यक्रमों के आयोजन हेतु विषय-विशेषज्ञों के मानदेय में संशोधन किया गया है ।

मानदेय की संशोधित दरें इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	शिक्षा कोड का अनुच्छेद 40 (ई) के अंतर्गत प्रावधान	मानदेय	
		विद्यमान दरें	अनुमोदित दरें
1.	90 मिनट की अवधि के सत्र के आयोजन के लिए केविसं के सेवारत कर्मचारियों को दिया जाने वाला मानदेय	₹ 500/-	₹ 1000/-
2.	90 मिनट की अवधि के सत्र के आयोजन के लिए आमंत्रित अतिथि वक्ता और विशेषज्ञ को दिया जाने वाला मानदेय	₹ 1000/-	₹ 2000/-
3.	स्थानीय विशेषज्ञों के लिए यात्रा प्रभार	₹ 200/-	एन.सी.आर.दिल्ली और वृहत मुंबई के लिए ₹ 1000/--शेष शहरों के लिए ₹ 500/- या वास्तविक लागत जो भी कम हो
4.	बाहर से आने वाले अतिथि वक्ता/विशेषज्ञों के लिए टिए/डीए	केविसं के नियमों के अन्तर्गत पात्रतानुसार	केविसं के नियमों के अन्तर्गत पात्रतानुसार
5.	केविसं के विभिन्न बैठकों में उपस्थित होने के लिए विशेषज्ञ प्रख्यात वैज्ञानिक/शिक्षाविद को दिया जाने वाला मानदेय ।	₹ 2000/- यदि इस भुगतान की न्यायोचितता के लिए वास्तविक कारण हो तथापि इस आशय के कारणों का उल्लेख भुगतान करते समय संबंधित प्राधिकारी द्वारा किया जाए ।	₹ 5000/- यदि इस भुगतान की न्यायोचितता के लिए वास्तविक कारण हो तथापि इस आशय के कारणों का उल्लेख भुगतान करते समय संबंधित प्राधिकारी द्वारा किया जाए ।

हिन्दी एवं अंग्रेजी पत्रों के कथन के अर्थ में यदि कोई भी विरोधाभास प्रतीत हो, उस स्थिति में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।

भवदीय,

(डा० शची कंत)

संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण)

वितरण:-

1. आयुक्त के निजी सचिव को सूचनार्थ ।
2. अपर आयुक्त (प्रशा./शैक्षिक) के निजी सचिव को सूचनार्थ ।
3. संयुक्त आयुक्त (कार्मिक) केविसंमु०, नई दिल्ली ।
4. संयुक्त आयुक्त (वित्त) को आवश्यक करवाई हेतु ।
5. निदेशक, समस्त केविसं, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के आंचलिक संस्थान को सूचना और आवश्यक करवाई हेतु ।
6. उपायुक्त, केविसं, समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों को इस निदेश के साथ कि इस कार्यालय जापन को अपने अधीनस्थ केन्द्रीय विद्यालयों को तुरन्त परिचालित करने का कष्ट करें ।
7. उपायुक्त (शैक्षिक/ई.डी.पी.) को केविसं की वेबसाइट पर लोड करने हेतु ।
8. केविसं(मु०) के अन्य सभी अधिकारी/ केविसं(मु०) नई दिल्ली के सभी अनुभाग अधिकारी ।
9. सहायक संपादक, केविसं(मु०) को केविसं के शिक्षा/लेखा कोड में आवश्यक संशोधन हेतु ।
10. गार्ड फाईल ।